# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/234

तारीख दायर :– 25/11/2016

उनवान

1. सूण्डाराम पुत्र भगवाना जाति मीणा निवासी किशोरी
2. रामकिशन पुत्र भगवाना जाति मीणा निवासी किशोरी
3. मंगलराम पुत्र भगवाना जाति मीणा निवासी किशोरी
4. मदन पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी किशोरी
5. जंगली पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी किशोरी
6. कैलाश पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी किशोरी
7. धनपाल पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी किशोरी
8. जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी किशोरी
9. गोपाल पुत्र रामधन जाति मीणा निवासी किशोरी
10. भैरू पुत्र बक्सा जाति मीणा निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादीगण।

बनाम

1. रामावतारदास चेला बालकिशनदास कौम बैरागीसाधू निवासी भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। – असलप्रतिवादी।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– तकमीलीप्रतिवादी।

। दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण।
2. श्री कौशल भारद्वाज.एडवोकेट प्रतिवादीअसल।

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा :-

## निर्णय

दिनांक:- 31.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नम्बर 535 रकबा 0.38, 536 रकबा 0.41 हैक्टर स्थित चली आती है। जो आराजी दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है।

उपरोक्त विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 535 रकबा 0.38 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर 502 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा एवं इसका साबिक खसरा नम्बर 111 रकबा 01 बिस्वा, 116 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा से एवं हाल खसरा नम्बर 536 रकबा 0.41 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर 503 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा से एवं इसका साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा से एवं इसका साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा से एवं 117 रकबा 01 बिस्वा से बने है। जैसा कि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 एवं 2028 से प्रमाणित है।

उपरोक्त विवादित आराजी सालिम वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस विवादित आराजी के साबिक रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 में वादीगण संख्या 1,2,3 व 9 के पिता के पिता भगवाना व रामधन के नाम 1/4 हिस्सा, पर वादी संख्या 4 लगायत 8 के पिता रामेश्वर के नाम 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 10 के पिता बक्सा के नाम 1/4 हिस्सा का इन्द्राज दर्ज चला आता है। आज भी मौके पर इनके वारिसान वादी संख्या 1,2,3, व 9 अपने 1/4 हिस्सा पर एवं वादी संख्या 4 लगाायत 8 अपने 1/2 हिस्सा, एवं वादी संख्या 10 अपने 1/4 हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं उक्तानुसार ही वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त खातेदारी का चला आता है। जिस विवादित आराजी पर वादीगण अपने पिता दादा के जीवनकाल से यानि 60 साल से लगातार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण के पिता दादा की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के पश्चात भी वादीगण विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। और वीदगण अपने पिता व दादा के जीवनकाल से ही एवं मृत्यु के बाद से लगातार विवादित आराजी पर काबिज

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

रहकर काश्त करते आ रहे है। और आज भी मौके पर वादीगण का उक्तानुसार कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। वादीगण की विवादित खातेदारी की आराजी से प्रतिवादीअसल का या अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है।

यह कि वादीगण अपने पिता व दादा के जीवनकाल से ही लगातार विवादित आराजी पर यानि 2029 से लगातार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। जिसका साबिक रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 में इन्द्राज दर्ज रिकार्ड है। आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है। विवादित आराजी की बाबत वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। एवं कानूनन किसी व्यक्ति का लगातार 12 साल तक कब्जा रहने के बाद स्वत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं लेकिन वादीगण का तो विवादित आराजी पर 60–62 साल पुराना कब्जा हो चुका है। इसलिये वादीगण विवादित आराजी सालिम को उक्तानुसार अपने नाम जरिये अदालत कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में कराने के अधिकारी है।

विवादित आराजी सालिम के वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार चले आते है। विवादित आराजी के रिकार्ड में असलप्रतिवादी के गुरू का नाम बालकिशनदास गलत दर्ज है। अब प्रतिवादीअसल के मन में बेइमानी आ गयी और जिस कारण अपना नाम विरासत इन्तकाल दर्ज कराकर विवादित आराजी को दीगर लोगो को रहन बय मुन्तकिल करना चाहता है। प्रतिवादीअसल ने विवादित आराजी के रिकार्ड में अपना नाम विरासत इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु इन्तकाल संख्या 189 ग्राम पंचायत किशोरी के समक्ष पेश किया जिस पर प्रतिवादीअसल का मौके पर कोई कब्जा नही मानते हुए इन्तकाल निरस्त फरमा दिया गया। जिस पर प्रतिवादीअसल ने इन्तकाल के खिलाफ अपील अदालत श्रीमान में पेश की। जो अपील निर्णय दिनांक 23.05.2013 को तहसीलदार थानागाजी को निर्देश पारित कर आदेश जारी किये की विवादित आराजी के कब्जा मौका एवं रिकार्ड की निष्पक्ष जांच कर निर्णय जारी करे। जिस पर तहसीलदार थानागाजी ने आदेश की पालना में पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट मंगावाने हेतु आदेश जारी किये जिस पर दिनांक 07.01.2014 को पटवारी हल्का मौके पर जाकर जांच कर अपनी रिपोर्ट में असलप्रतिवादी का मौके पर

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

कोई कब्जा नही माना और मौके पर वादीगण का कब्जा मानते हुए श्रीमान तहसीलदार
थानागाजी के समक्ष पेश कर दिया। प्रतिवादीअसल बेईमान किस्म का मतुर मालक
व्यक्ति है जिसके मन मे बेइमानी आ गयी जिस कारण दिनांक 26/10/2016 को
विवादित आराजी पर मौके पर आया और आते ही वादीगण के कब्जे काश्त कार्यकाश्त मे
बाधा डाली। तथा जबरन कब्जा कर बेदखल करने पर आमादा हुआ। तथा अपने बिरासत
इन्तकाल दर्ज कराकर अपने नाम का गलत लाभ उठाकर दीगर लोगो को रहन बय
मुन्तकिल करने की धमकी दी। वादीगण सीधेसाधे व्यक्ति है जो 60-62 साल से काबिज
रहकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को विवादित आराजी पर कब्जा मुखालफाना के
आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीअसल अजखुद विवादित आराजी
का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार नही मानते हैं बल्कि जबरन कब्जा कर
बेदखल करना चाहते है विवादित आराजी की बाबत जो इन्द्राज असलप्रतिवादी के नाम
खातेदारी मे दर्ज चला आता है वह इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून व मौका है एवं
वादीगण के हकूको के मुकाबिले बातिल वो बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जिस गलत
इन्दाज को वादीगण कलमजन कराकर उक्तानुसार जरिये अदालत विवादित आराजी को
वीदगण संख्या 1,2,3 व 9 अपने 1/4 हिस्सा, एवं वादी संख्या 4 लगायत 8 अपने 1/2
हिस्सा, एवं वादी संख्या 10 अपने 1/4 हिस्सा के नाम खातेदारी की घोषणा कराने के
अधिकारी है। एवं वादीगण अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

विवातिद आराजी के वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार चले आते है। वादीगण
की विवादित आराजी से प्रतिवादीअसल का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है।
प्रतिवादीअसल अज खुद वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नही
मानते हैं बल्कि प्रतिवादीअसल वादीगण के कब्जे काश्त कार्य काश्त में बाधा डालते है
और अपने नाम का गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर दीगर लोगो को रहन बय मुन्तकिल
करने की धमकी देते है। इसलिये वादीगण जरिये अदालत विवादित आराजी के रिकार्ड से
प्रतिवादीअसल का नाम सालिम आराजी से कलमजन कराकर एवं रिकार्ड में दुरूस्ती
कराकर अपने नाम उक्तानुसार खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। जिस हेतु भी
यह वाद पत्र पेश है।

अधिक्षक
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

वादीगण गरीब काश्तकारी पेशा व्यक्ति है जो विवादित आराजी पर अपने पिता व दादा के जीवनकाल से काबिज रहकर बिना किसी बाधा के लगातार के काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीअसल बेईमान किस्म का मूछमर्द व्यक्ति है यदि प्रतिवादीअसल ने वादीगण की विवादित खातदेारी की आराजी पर जबरन लठ के बल पर अपना कब्जा कर लिया वादीगण को बेदखल कर दिया कार्यकाश्त वादीगण नही करने दी गलत इन्दाज के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगो को रहन बय मुन्तकिल कर दिया तो वादीगण बर्बाद हो जावेगे हकूक वादीगण जायलहोगे मुकदमा बाजी बढेगी वादीगण के हाथ से खातेदारी की आराजी निकल जावेगी। वादीगण के भूखो मरने की नौबत आ जावेगी जिससे वादीगण को ऐसा भारी नापूर्ति योग्य नुकसान होगा कि जिसकी पूर्ति रूपयो में या अन्य हकूको में नही की जा सकेगी। इसलिये वादीगण प्रतिवादीअसल को जर्ये अदालत स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है। जिस हेतु भी यह वाद पत्र पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रति

Scanned by CamScanner

बैरागी सा0 अखाडा भीकमपुरा की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण जबरन बल के बल पर कब्जा करना चाहते है। मुझ प्रतिवादी का निरस्त इन्तकाल कानून के खिलाफ बिना बजह कब्जा नही बताते हुए खारिज कर दिया गया। सन 2011 में मदन लाल की माता जम्बूरी देवी ग्राम पंचायत की सरपंच थी जिसके द्वारा गलत तरीके से इन्तकाल विरासत खारिज किया गया है और इन्तकाल के निर्णय में मूर्ति मंदिर की आराजी होना बताया है और रिकार्ड मे भी आराजी अखाडा भीकमपुरा की खातेदारी में दर्ज है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा कब्जा मुखालफाना खारिज फरमाया जावे। दावा खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस व प्रतिवादी असल के कथनों पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दीसम्वत 2070–73 वाकै किशोरी के खाता संख्या 304 के अनुसार विवादित आराजी बालकिशन चेला सुखराम दास बाबाजी बैरागी सा0 अखाडा भीकमपुरा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदार बाल किशन की मृत्यु के बाद विरास्त का इन्तकाल प्रतिवादी असल रामावतार दास के नाम दर्ज हुआ जिसको वास्ते निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत किशोरी के समक्ष पेश किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत किशोरी द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि "प्रस्ताव सं0 1 के अनुसार यह नामान्तरकरण कौरम बैठक में पेश हुआ। मृतक बाल किशन दास चैला सुखराम दास के कोई जाइन्दा सन्तान नही थी। इस नामान्तकरण में जैसे आराजी का विरास्त का नामान्तकरण खोला गया है। यह भूमि मंदिर मूर्ति श्री अखाडा की है। यह खातेदारी में गलत दर्ज है। या हो गई है। मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज की भूमि होने के कारण सर्व सम्मति से विचार विमर्श के बाद इस नामान्तकरण की भूमि को मंदिर मर्ति श्री सीताराम जी के दर्ज होनी चाहिए थी। अतः कोरम बैठक में सरपंच साहब की अध्यक्षता में नामान्तरकरण अस्वीकार किया जाता है"

इतना लिखने पर निर्णय पर एक नोट अंकित किया गया कि "कौरम बैठक में सरपंच साहब की अध्यक्षता में प्रस्ताव रखा कि इनका 60 वर्षो से कोई कब्जा नही है

अध्यक्ष
(अखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
गाजी (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

जिसने श्री भैरा बक्श तथा मंगलराम, सुण्डाराम, रामकिशन, रामफल पुत्रान भगवान मदन, जंगली कैलाश, जगदीश धनपाल पुत्रान रामेश्वर कौम मीणा का कब्जा है।"

इन्तकाल विरासत का निर्णय करते समय ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान की जाँच नही की गई और निर्णय मे विवादित आराजी को मूर्ति मंदिर की मानते हुए इन्तकाल खारिज किया गया तथा कब्जे के बारे मे वादीगणो के नाम अंकित करते हुए वादीगणों का कब्जा बताया गया है जबकि ग्राम पंचायत को कब्जे की जॉच करने का कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत आराजी को मूर्ति मंदिर की भी मान रही है साथ ही अन्य का कब्जा भी मौके पर अंकित कर रही है। ग्राम पंचायत के इस निर्णय से ग्राम पंचायत की वद नियाति जाहिर होती है।

उक्त विवादित आराजी को ग्राम पंचायत किशोरी द्वारा मूर्ति मंदिर की माना गया है और इन्तकाल विरास्त के निर्णय में "मर्ति मंदिर के नाम दर्ज होनी चाहिए" अंकित करते हुए इन्तकाल खारिज किया गया है। इसके अलावा जमाबंदी सम्वत 2070–73 एवं इससे पूर्व के रिकार्ड इन्द्राज अनुसार भी उक्त आराजी अखाड़ा भीकमपुरा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादीगण का कब्जा मुखालफाना सिद्ध नही होता है और कब्जा प्रमाणित नही होने के कारण वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। अतः दावा वादीगण सिद्ध नही होने के कारण काबिले खारिज है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट बाबत आ.ख.नं. 535 रकबा 0.38 है0, 536 रकबा 0.41 है0 वाकै ग्राम किशोरी सिद्ध नही होने तथा Cleen hand से प्रस्तुत नही करने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प किशोरी में सुनाया जाकर लिखाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अध्यक्ष
(क्षेत्राधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, थानागाजी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री कैलाश चंद शर्मा II R.A.S.

① सुल्तान ② रामकिशन ③ गंगाराम नाबालिग पि. भगवाना ④ मदन ⑤ जगदीश ⑥ कैलाश ⑦ धनपाल ⑧ नाथीवा पिसर मिश्रा ⑨ गीता पु. रामधन ⑩ ... बनाम ① रामअवतार दास चेला बाल किशनदास कौम वैरागी साधु निवासी ... तहसील थानागाजी (अलवर) असल प्रतिवादी ② राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भू-स्वामी थानागाजी (अलवर) - तरमीमशुदा प्रतिवादी

दावा बाबत धारा 88, 89, 188 ... किशोरी - वादीगण -

मुकदमा नंबर :- 234 अपूर्व 251/116

निर्णय दिनांक :- 31/5/18

वादी की ओर से श्री सुधीर कुमार सैनी एड. की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31/5/18 को मुझ कैलाश चंद शर्मा II R.A.S. उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 R.T. Act बाबत खसरा नं. 535 रकबा 0.38 हे. 536 रकबा 0.41 हे. वाके ग्राम किशोरी सिद्ध नहीं होने तथा cleen Hand से प्रस्तुत नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31/5/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, थानागाजी

अध्यक्ष (उपखण्ड अधिकारी) राजस्व लोक अदालत थानागाजी (अलवर) राज.

वाद के खर्चे

| वादी | रुपया | | रुपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | — | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | — |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | — | 3 भी के लिए स्टाम्प | — |
| 3. ... के लिए स्टाम्प | — | ... की फीस | — |
| 4. ... की फीस | — | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | — |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | — | आदेशिका की तामील | — |
| 6. कमिश्नर की फीस | — | कमिश्नर की फीस | — |
| 7. आदेशिका की तामील | — | | |
| जोड़ | — | जोड़ | — |



Scanned by CamScanner